हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के प्रबन्धकों ने 16-3-74 को मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ समझौता किया। इस समझौते के अन्तर्गत जो 1-1-74 से लागू है, वेतन-ढांचे का पुनरीक्षण और मजदूरी की अन्य सामान्य मांगे आती हैं। यह समझौता 31-12-1977 तक लागू रहेगा।

स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए आवास

343. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री आर० एन० बर्मन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मे बूढ़े और असमर्थ सेनानियो के निवास के लिये स्वतन्त्रता सेनानी गृह की स्थापना की गयी है,

(ख) यदि हा, तो उनमे कितने सेनानियो के निवास की व्यवस्था है तथा अभी वहा कितने सेनानी निवास कर रहे है, और

(ग) क्या इस प्रकार के गृह अन्यत्र बनाने की कोई योजना है और यदि हा, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हा। श्रीमान्।

(ख) इस समय स्वतन्त्रता सेनानी गृह मे 25 स्वतन्त्रता सेनानियों के रहने की व्यवस्था है। इस समय दिल्ली के गृह में 4 स्वतन्त्रता सेनानी हैं और स्वतन्त्रता सेनानियो के आने की आशा है।

(ग) दूसरा केन्द्रीय गृह संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी मे स्थापित किया जा रहा है उसको आरम्भ करने के प्रबन्धो को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। उन स्वतन्त्रता सेनानियों के लिये जिनको आश्रय की आवश्यकता है प्रत्येक राज्य में कम से कम ऐसा एक गृह स्थापित करने की सम्भावनाओ की जाच करने के लिये राज्य सरकारो से भी अनुरोध किया है।

स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन की स्वीकृति

344. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 फ़रवरी, 1975 तक जिन स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन की स्वीकृति की गयी है उनकी कुल सख्या कितनी है तथा उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है,

(ख) जिन सेनानियो के आवेदन पत्र विचाराधीन है उनकी राज्यवार सख्या क्या है, और

(ग) सरकार उन आवेदन पत्रो के कब तक निबटाने का विचार रखती है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). 99,581 मामलो का पेंशन की स्वीकृति के लिये अनुमोदन किया गया है। 59,694 आवेदन पत्र विचाराधीन है। इनमे से 50,600 आवेदन पत्र है जिन्हे पर्याप्त समय तक अपेक्षित सूचना न मिलने के कारण फ़ाइल कर दिया गया था और 9,099 आवेदनपत्रों की अभी जाच होनी है। राज्य-वार सूचना सभा पटल पर रखे गये विवरण मे दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8919/75]।

(ग) जब कि आवेदनपत्रो का शीघ्र निपटान करने के लिये सभी प्रयास किये जा रहे हैं, फिर भी कोई निश्चित समय जिसमे कार्य पूरा हो जायेगा, बताना सम्भव नही है।